प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

दांडिक अपील क्रमांक 1068/2002

एकल पीठ : माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति

सतीश कुमार साहू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित: –

श्री जी.एस.अहलूवालिया, अभियुक्त–अपीलार्थी की ओर से।

श्री जे.डी.बाजपेयी, शासकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(16–01–2006 को उदघोषित)

1. यह अपील श्री एन.डी. एक्का, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), जांजगीर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 508/2001 में दिनांक 18.09.2002 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध निर्दिष्ट है, जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) एवं धारा 506 भाग ॥ के अंतर्गत सिद्धदोष किया गया था तथा उसे सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/– रुपए का जुर्माना, एवं जुर्माना अदा न करने पर धारा 376(1) के अंतर्गत तीन माह का अतिरिक्त कारावास एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग ॥ के अंतर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का वृत्तांत यह है कि अभियोक्त्री अ.सा.15, उम्र लगभग 13 वर्ष, अम्बिका अ.सा.2 और रामकिशुन अ.सा.5 की पुत्री है। दिनांक 26.10.2001 को वह कु. पुष्पा अ.सा.18 और कु. मीना प्र.सा.1 के साथ तनौद गांव के बाहरी इलाके में दशहरा उत्सव देखने गई थी,

जिसमें रावण का पुतला जलाया गया था। शाम करीब 7 बजे, मेला खत्म होने के बाद अभियोक्त्री अ.सा.15 अकेली घर लौट रही थी। गांव के तालाब के पास जब वह शौच के लिए गई थी, तो अभियुक्त–अपीलार्थी वहां आया और उसे पकड़ लिया। उसे चूमा, जबरन उठाया और तालाब के पास झाड़ियों में ले गया, जबरन उसके कपड़े उतारे और उसके साथ बलात्कार किया। अभियोक्त्री ने कहा कि वह अपनी मां को इस घटना के बारे में बताएगी। अभियोक्त्री ने कहा कि वह अपनी माँ को इस घटना के बारे में बता देगी। अपीलार्थी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। जबरदस्ती प्रवेश के कारण,कुंवारी अभियोक्त्री के गुप्तांगों से भारी मात्रा में रक्तस्राव होने लगा। अपीलार्थी ने खून साफ करने के लिए अपनी बनियान की पेशकश की लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया और टैंक में जाकर खुद को धोया।। घर लौटने पर अभियोक्त्री ने अपनी मां अंबिका अ.सा.2 को अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किए गए बलात्कार के बारे में बताया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अंबिका द्वारा दिनांक 27.10.2001 को प्रातः 09.15 बजे पुलिस स्टेशन शिवरीनारायण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श.पी.2 दर्ज कराई गई। अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. रमा घोष अ.सा.7 ने दिनांक 27.10.2001 को प्रातः 6.30 बजे अभियोक्त्री की जांच की तथा पाया कि उसे चलने में असुविधा हो रही है तथा वह धीरे–धीरे चल पा रही है। उसके द्वितीयक यौन लक्षण अच्छी तरह से विकसित थे। उसके स्तनों पर लाल नीले रंग के कई चोट के निशान थे और वह दोनों स्तनों में दर्द की शिकायत कर रही थी। दोनों लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के जोड़ पर एक कट था जो त्वचा के रंग में गहरा लाल था, किनारे 1 सेमी लंबे कटे हुए थे और छूने पर हल्का खून बह रहा था। उसकी योनि बहुत तंग थी, हालाँकि दो उंगलियाँ अंदर गई और खींचने पर खून बह रहा था। खून के थक्के भी मौजूद थे। दाहिनी पार्श्व योनि दीवार पर एक कटा हुआ घाव मौजूद था। किनारा स्पष्ट नहीं थे। छूने पर खून बह रहा था। घाव की गहराई लगभग 1/4 सेमी थी। योनिच्छद फटा हुआ था। लाल रंग का मांसांकुर मौजूद था। डॉ. घोष अ.सा.7 के अनुसार, चोटें लगभग 24 से 30 घंटे पुरानी थीं। उन्होंने कहा

कि अभियोक्त्री अ.सा.15 के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए गए होंगे। उन्होंने उम्र निर्धारण के लिए उसे जिला अस्पताल, बिलासपुर भेज दिया।

4. डॉ. आर. जितपुरे अ.सा.6 जिन्होंने अभियोक्त्री की आयु निर्धारित करने के लिए अस्थिकरण परीक्षण किया, जो इस प्रकार पाया गया:

(I) त्रिज्या का सिर संलयित था (संलयन की आयु 14 वर्ष है)

(ii) कूर्पर प्रवर्ध संलयित था (संलयन की आयु 15 वर्ष है)

(iii) त्रिज्या अल्ना का निचला सिरा संलयित नहीं था (संलयन की आयु 17 से 18 वर्ष है)

(iv) श्रोणिफलक शिखा दिखाई दे रहा था, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं था। (संलयन की आयु 14 वर्ष, संलयन की आयु 19–20 वर्ष)

उपरोक्त कथनों के आधार पर डॉ. जितपुरे अ.सा.6 का मत था कि अभियोक्त्री की आयु घटना की तिथि को 15 से 17 वर्ष के बीच हो सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियोक्त्री का जन्म प्रमाण पत्र, प्र.पी.5, प्राथमिक विद्यालय तनौद के प्रधानाध्यापक उमेंदराम साहू द्वारा जारी किया गया था, जिसमें अभियोक्त्री की जन्मतिथि 2 जनवरी 1987 दर्ज है, प्र.पी.4 के अनुसार जब्त किया गया। 28 अक्टूबर 2001 को अपीलार्थी का भी चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया था। डॉ. के. के. थवाईत (अ.सा.19) ने पाया कि उसका लिंग, जननांग और द्वितीयक लैंगिक लक्षण पूरी तरह विकसित हैं और संभोग करने में असमर्थता का कोई लक्षण नहीं दिखा। अभियुक्त–अपीलार्थी द्वारा पहने गए अंडरवियर को डॉ. थवाईत द्वारा एक सीलबंद पैकेट में भेजा गया था, जिसे प्र.पी.3 के तहत जब्त कर लिया गया। डॉ. रमा घोष (अ.सा.7) ने एक सीलबंद लिफाफे में एक गुलाबी रंग की टू–पीस और एक लाल रंग की पैंटी जिस पर खून के धब्बे थे, भेजी थी, जिसे प्र.पी.1 के रूप में जब्त किया गया। फोरेंसिक प्रयोगशाला, रायपुर में रासायनिक जाँच के बाद पाया गया कि पीड़िता की स्कर्ट, शमीज़ और अंडरगारमेंट्स, साथ ही अभियुक्त–अपीलार्थी के अंडरगारमेंट्स खून से सने हुए थे। परमलाल (अ.सा.8) ने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श.पी.11) बनाया था। जांच पूरी होने पर, अभियुक्त/अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) और 506, भाग 2 के तहत मामला दर्ज किया गया।

6. अभियुक्त ने अपना अपराध अस्वीकार किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच प्रेम संबंध थे, हालांकि उनके बीच कभी यौन संबंध स्थापित नहीं हुए। घटना दिनांक को अभियुक्त दशहरा उत्सव में गया हुआ था। अभियोक्त्री ने अभियुक्त को घटनास्थल पर बुलाया था, लेकिन अभियुक्त वहां नहीं गया, क्योंकि वह संभोग करने में असमर्थ था और उसका लिंग खड़ा नहीं हो पा रहा था। अभियोजन पक्ष ने कुल 21 साक्षियों का परिक्षण किया । प्रतिरक्षा में, अभियुक्त–अपीलार्थी ने कु. मीना लगभग 17 वर्ष से पूछताछ की, जो दशहरा उत्सव में अभियोक्त्री के साथ गई थी। मीना ब.सा.1 ने गवाही दी कि उत्सव के दौरान अभियोक्त्री ने उससे कहा था कि उसने सतीश और कुछ अन्य लड़कों को बुलाया है, और इसलिए वह उनसे मिलने जा रही है और वह लगभग 5.30–6.00 बजे मेले से चली गई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. अपीलार्थी के विद्वान आधिवक्ता श्री जी.एस. अहलूवालिया ने शुरू में ही कहा था कि वह विचारण न्यायालय के इस निर्णय पर आपत्ति नहीं करते हैं कि दिनांक 26.10.2001 को लगभग 7 बजे शाम को अभियुक्त–अपीलार्थी ने अभियोक्त्री अ.सा.15 के साथ यौन संभोग किया था। अपीलार्थी के विद्वान आधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को केवल निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी है:; –

अ. अभियोक्त्री की आयु से संबंधित मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता कि उसकी आयु 16 वर्ष से कम है, जबकि डॉ. जितपुरे अ.सा..6 के साक्ष्य और उनकी रिपोर्ट प्रदर्श.पी. 8 से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अभियोक्त्री की आयु लगभग 15–17 वर्ष थी। दोनों पक्षों के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य दो वर्ष की त्रुटि सीमा को ध्यान में रखते हुए, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि घटना की तिथि पर अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से अधिक थी।

ब. दूसरा, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दर्शाते हैं:

(क) अभियोक्त्री की पीठ पर चोट का कोई निशान न होना, (ख) यौन क्रिया के दौरान कोई प्रतिरोध न करने की बात अभियोक्त्री द्वारा स्वीकार करना, (ग) अभियुक्त–अपीलार्थी के बनियान से खून साफ करने से मना करने के बाद, उसने तालाब में खून के दाग धोए, (घ) अभियुक्त–अपीलार्थी के साथ उसके विवाह के लिए पंचायत से संबंधित स्वीकृति और (ड़) मीना ब.सा.1 का बयान, हालाँकि अभियोजन पक्ष ने इसे प्रस्तुत किया था परन्तु बाद में त्याग दिया, यह दर्शाता है कि पीड़िता ने अभियुक्त–अपीलार्थी से एक पूर्व–नियोजित योजना के अनुसार मुलाक़ात की थी, जो स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा किए गए यौन कृत्य में पीड़िता की सहमति का सुझाव देता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उन्होंने प्रति–परिक्षण के पैरा 3 में डॉ. रमा घोष अ.सा..7 की राय पर भी जोर दिया कि यदि कुंवारी लड़की की सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाते समय जबरदस्ती प्रवेश किया गया होता, तो अभियोक्त्री के निजी अंगों पर पाई गई चोटें लगी हो सकती थीं। दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री जे.डी. बाजपेयी ने विचारण न्यायालय के निर्णय के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के **पंजाब राज्य बनाम रामदेव सिंह मामले में 2004(2) सी.जी.एल.जे. 66** के निर्णय का अवलम्ब लिया और तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री की गवाही डॉ. रमा घोष अ.सा.7 के चिकित्सा साक्ष्य से पूरी तरह से पुष्ट होती है, जिससे पता चलता है कि अभियोक्त्री के साथ बहुत ही क्रूर बलात्कार किया गया था। हालांकि अभियोक्त्री की गवाही में कुछ विसंगतियां हो सकती हैं, इसलिए इस न्यायालय को अप्रासंगिक या महत्वहीन तकनीकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

8. प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद, मैंने सत्र प्रकरण क्रमांक 508/2001 के अभिलेख का अवलोकन किया है। पैरा 15 में अभियोक्त्री ने अपनी उम्र के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञता व्यक्त की है। मीना ब..सा.1, उम्र लगभग 17 वर्ष, ने बयान दिया है कि अभियोक्त्री उससे लगभग डेढ़ – दो वर्ष बड़ी थी तथा कक्षा–1 में एक बार फेल होने के बाद उसने कक्षा–5 तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था। प्रति–परिक्षण में उसकी उपरोक्त गवाही पूरी तरह से अखंडित है। उमेंद राम अ.सा..3 ने अभियोक्त्री

का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके उसकी जन्मतिथि 2 जनवरी 1987 सिद्ध की है। प्रमाण पत्र से पता चलता है कि कक्षा–5 के स्कूल छोड़ने के रजिस्टर में दर्ज जन्म तिथि को ही अभियोक्त्री की जन्म तिथि माना गया। रामकिशुन अ.सा.5 ने प्रति–परिक्षण के पैरा 8 में कहा है कि जब वह अभियोक्त्री को कक्षा–1 में प्रवेश दिलाने विद्यालय गया था तो उसे जन्मतिथि का पता नहीं था, इसलिए उसने अनुमान लगाकर प्रधानाचार्य से अभियोक्त्री की उम्र 6 वर्ष लिखने को कहा था। यद्यपि उन्होंने कहा है कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि पर उन्होंने कोटवारी बही में प्रविष्टि की थी, फिर भी अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अंबिका अ.सा.2 द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में, घटना दिनांक को अभियोक्त्री की आयु 13 वर्ष दर्शाई गई थी। प्रति–परिक्षण के पैरा 6 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा बताई गई उम्र अनुमान पर आधारित थी और वह पुलिस स्टेशन में इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य लेकर नहीं गई थी। ऐसे मामले में आयु के प्रमाण का प्राथमिक साक्ष्य जन्म के समय कोटवारी बही में दर्ज जन्मतिथि है, जो इस मामले में प्रस्तुत नहीं की गई है। बालिका को विद्यालय में कक्षा–1 में प्रवेश दिलाते समय अभिभावकों द्वारा भरा गया प्रपत्र भी आयु प्रमाणित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य है, किन्तु कंडिका 8 में रामकिशुन अ.सा.5 की गवाही से स्पष्ट है कि उसे अभियोक्त्री की जन्मतिथि ज्ञात नहीं थी, तथा इसलिए उसने कल्पना से प्रधानाचार्य से उसकी आयु लगभग 6 वर्ष लिखने को कहा था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि कक्षा–5 के स्कूल छोड़ने के रजिस्टर में समान आयु का उल्लेख किया गया है, तो इसे अभियोक्त्री की आयु का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता।

9. अभिलेख पर आयु के प्रमाण के लिए अन्य साक्ष्य डॉ. आर. जितपुरे अ.सा.6 की गवाही और पैराग्राफ 2 में उल्लिखित अस्थिकरण परीक्षण प्रतिवेदन है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उसकी आयु 15–17 वर्ष के बीच आंकी गई थी क्योंकि श्रोणिफलक शिखा सक्रिय था (संलयन की आयु 14 वर्ष), लेकिन जुड़ा नहीं था (संलयन की आयु – 19–20 वर्ष) और कूर्पर प्रवर्ध संलयित थी (संलयन की आयु 15 वर्ष) और त्रिज्या अल्ना का निचला सिरा संलयित नहीं था (संलयन की आयु 18–20 वर्ष)। उपरोक्त तथ्य और दोनों पक्षों के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य दो वर्ष की त्रुटि किनारा को ध्यान में रखते

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हुए इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियोक्त्री की आयु घटना की तिथि को 16 वर्ष से अधिक थी।

10. अभियोक्त्री की गवाही से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जब वह शौच के लिए खंबा तालाब के पास बैठी थी, तो अभियुक्त–अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया, उसे उठा लिया और कुछ दूर ले गया तथा उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। डॉ. रमा घोष अ.सा.7 के चिकित्सा साक्ष्य को निर्णय के पैराग्राफ 3 में संदर्भित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यौन संबंध क्रूर और बहुत दर्दनाक था। डॉ. रमा घोष ने अभियोक्त्री के स्तनों पर लाल–नीले रंग के कई चोट के निशान पाए, जो दोनों स्तनों में दर्द की शिकायत कर रही थी। अभियोक्त्री आराम से चलने में असमर्थ थी और उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के जोड़ पर एक कट था जो त्वचा के रंग में गहरा लाल था। किनारों पर 1 सेमी लंबा घाव था और छूने पर हल्का खून बह रहा था। उसकी योनि बहुत तंग थी, हालाँकि दो उंगलियाँ अंदर चली गईं और खिंचाव पर खून बह रहा था। खून के थक्के भी मौजूद थे। दाहिनी पार्श्व योनि दीवार पर एक कटा हुआ घाव था। किनारे स्पष्ट नहीं थे। छूने पर खून बह रहा था। घाव की गहराई लगभग 1/4 सेमी थी। योनिच्छद फट गया था। लाल रंग का था। मांसांकुर मौजूद था। अभियोक्त्री की निर्विवाद गवाही उसके माता–पिता अंबिका अ.सा.2 और रामकिशुन अ.सा.5 की गवाही से भी पूरी तरह से पुष्ट होती है। अंबिका अ.सा.2 ने बयान दिया है कि घटना दिनांक को मेले से लौटते समय अभियोक्त्री रो रही थी और उसने उसे घटना के बारे में बताया। इस प्रकार अभियोक्त्री की गवाही से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अभियुक्त–अपीलार्थी ने दिनांक 26.10.2001 को लगभग 7.00 बजे शाम को खम्बा तालाब के पास उसके साथ बहुत जबरदस्ती से यौन संबंध बनाए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अब केवल एक ही बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अभियोक्त्री ने अपीलार्थी द्वारा यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दी थी। यह सच है कि मीना ब.सा.1 ने कहा कि मेले में अभियोक्त्री ने उससे कहा था कि वह सतीश और कुछ अन्य लड़कों से मिलने जा रही है, जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अभियोक्त्री अभियुक्त–अपीलार्थी के साथ

यौन संबंध बनाने जा रही थी। बलात्कार का अपराध तब भी पूरा हो जाएगा, जब अभियोक्त्री अपनी इच्छा से अभियुक्त–अपीलार्थी से मिलने गई थी, तथा अपीलार्थी ने उसकी सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाए थे। अभियोक्त्री को लगी चोटों से इस बात पर कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसने यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दी थी। पैराग्राफ 8 में उसकी गवाही कि अभियुक्त ने उसे उठाया और कुछ दूर तक ले गया, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श.पी.2 से भी पुष्ट होती है।

12. अभियोक्त्री एक कुंवारी लड़की थी और उसने पहले कभी संभोग नहीं किया था। यह बात अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता धारा 313 के तहत अपनी परीक्षण में दिए गए बयान से भी स्पष्ट है कि घटना के दिनांक से पहले उसने अभियोक्त्री के साथ कभी संभोग नहीं किया था। यह पूरी तरह संभव है कि चूंकि अभियोक्त्री अभियुक्त को जानती थी और उससे मिलने गई थी, इसलिए जब अभियुक्त ने उसे उठाया तो वह चिल्लाई नहीं, क्योंकि वह नहीं जान सकती थी कि अभियुक्त के मन में क्या है। हालांकि, उसने प्रति–परिक्षण में कहा कि जब अभियुक्त ने उसके कपडे उतारे तो वह चिल्लाई थी, लेकिन अभियुक्त ने उसे दबोच लिया था। जिस तरह से अभियोक्त्री थी कपडे उतारे गये,उससे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अभियोक्त्री की सहमति का पूर्ण अभाव था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. एक अन्य तथ्य जो अभियुक्त–अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किए गए यौन कृत्य में अभियोक्त्री की सहमति को पूरी तरह से खारिज करता है, वह यह है कि यदि उसने सहमति दी होती और वह यौन कृत्य में स्वेच्छा से शामिल होती, तो वह किसी भी परिस्थिति में अपनी मां को घटना के बारे में नहीं बताती। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त–अपीलार्थी और अभियोक्त्री को यौन संबंध बनाते हुए एक साथ देखा गया हो, जिससे अभियोक्त्री को अपनी शर्म छिपाने के लिए अपने माता–पिता को सूचित करने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। इस मामले में, यह तथ्य कि अभियोक्त्री ने घर लौटने के तुरंत बाद अपनी माँ को रोते हुए बताया और अपने साथ हुए क्रूर बलात्कार के बारे में पूरी कहानी सुनाई, इस तथ्य को पुष्ट करता है कि अभियुक्त–अपीलार्थी द्वारा यौन क्रिया में उसकी सहमति का पूर्ण अभाव था। उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन करने वाला एक अन्य तथ्य यह है कि बलात्कार के तुरंत बाद, अत्यधिक रक्तस्राव से ग्रस्त अभियोक्त्री ने अभियुक्त–अपीलार्थी से कहा कि वह इस घटना के बारे में अपनी मां को बताएगी,

जिस पर अभियुक्त–अपीलार्थी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। अभियोक्त्री द्वारा रक्त को पोंछने के लिए अभियुक्त–अपीलार्थी द्वारा दिए गए बनियान को स्वीकार करने से इनकार करना भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह यौन क्रिया में सहमति देने वाला पक्ष नहीं थी।

14. डॉ. रमा घोष अ.सा.7 द्वारा प्रति–परिक्षण पैराग्राफ 3 में दी गई अभिमत वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती है क्योंकि इस मामले में अभियोक्त्री के दोनों स्तनों पर लाल रंग के कई चोट के निशान थे और अभियोक्त्री के दोनों स्तनों में दर्द था। अभियोक्त्री के साथ इतनी क्रूरता से बलात्कार किया गया कि वह सामान्य रूप से चल भी नहीं पा रही थी। डॉ. रमा घोष द्वारा अभियोक्त्री के निजी अंगों पर पायी गयी चोटों के साथ–साथ उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किये गये यौन संबंध में अभियोक्त्री की सहमति को खारिज करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. जहां तक अभियोक्त्री द्वारा यह स्वीकारोक्ति है कि एक पंचायत हुई थी जिसमें विवाह प्रस्ताव पर विचार किया गया था, इससे अभियुक्त को किसी भी तरह से मदद नहीं मिलती है। एक परंपराबद्ध और रूढ़िवादी समाज में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, किशोरावस्था में लड़की पर यौन उत्पीड़न की शर्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। असहाय माता–पिता के पास अभियुक्त–अपीलार्थी से अभियोक्त्री से विवाह करने का अनुरोध करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था और उस संदर्भ में पंचायत आयोजित हुई होगी। इससे अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए जघन्य अपराध से मुक्त नहीं किया जा सकता।

16. जैसा कि अभियोक्त्री द्वारा स्वीकार किया गया है कि जब उसे अभियुक्त–अपीलार्थी द्वारा उठाकर एकांत स्थान पर ले जाया जा रहा था, तो उसने अभियुक्त–अपीलार्थी को अपने नाखूनों से नहीं खरोंचा या काटा, इससे भी अभियुक्त–अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। अभियोक्त्री कुंवारी थी, मेले से लौटते समय शायद वह अपीलार्थी से मिलने गई थी। इसलिए जब अभियुक्त उसे उठाकर सुनसान जगह पर ले गया तो शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्रूर बलात्कार होने वाला है। पैराग्राफ 13 में उसने बताया है कि जब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे तो वह चिल्लाई थी लेकिन अभियुक्त ने उसे दबोच

लिया और जबरदस्ती जमीन पर लिटा दिया था। यह तथ्य कि अभियुक्त ने अपना पैर उसकी छाती पर रखा था, उसकी छाती पर पाए गए चोट के निशानों से भी पुष्ट होता है। चूंकि घटनास्थल बहुत ही सुनसान जगह थी, इसलिए अभियोक्त्री की चीख–पुकार का कोई महत्व नहीं था, इसलिए केवल यह तथ्य कि अभियोक्त्री ने यौन क्रिया के दौरान कोई प्रतिरोध नहीं किया, किसी भी तरह से अभियुक्त–अपीलार्थी की मदद नहीं करता है।

17. अभियोक्त्री कुंवारी थी और किशोरावस्था में थी। अपराध का अपराधी एक स्वस्थ शरीर वाला युवक था जो ऊर्जा से भरपूर था और अपनी वासना को पूरा करने के लिए दृढ़ था और अभियोक्त्री से मिलने गई थी, उसका फायदा उठाने के लिए उसने अभियोक्त्री को जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां अभियोक्त्री की मदद करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। जैसा कि पंजाब राज्य बनाम रामदेव सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 (2) सी.जी.एल.जे. 66 में अभिनिर्णीत किया है, चिकित्सा साक्ष्य के दिन अभियोक्त्री की पीठ पर चोट के स्पष्ट निशान न होने का यह अर्थ नहीं है कि अपराध के समय उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया था। यह तथ्य कि अभियोक्त्री के स्तनों के साथ–साथ उसके निजी अंगों पर भी चोटें थीं और बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा था, तथा इस तथ्य के साथ कि उसने तुरंत अपनी मां को घटना की जानकारी दी थी, उसकी गवाही को विश्वसनीयता प्रदान करता है तथा यौन क्रिया में उसकी सहमति की संभावना को पूरी तरह से खारिज करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर समग्र रूप से विचार करने के बाद, मैं इस राय पर पहुंचा हूं कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) और 506 भाग–II के तहत सही रूप से दोषी ठहराया है। जहां तक अपीलार्थी को दी गई सजा का संबंध है, यह अपीलार्थी द्वारा किए गए जघन्य अपराध के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह अपील तथ्यहीन है, इसमें कोई दम नहीं है और इसे खारिज किये जाने योग्य है।

एसडी/–

श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख,

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Uday Shankar Dewangan

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur